

न्यायालय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, आमला, जिला बैतूल
(पीठासीन अधिकारी – श्रीमती मीना शाह)

व्य.वाद. क्रमांक:- 30ए/16

पुराना व्य.वाद.क्र. 09ए/14

संस्थापन दिनांक:-17/12/14

फाईलिंग नं. 233504001782014

फूलसिंग वल्द अमरू धुर्वे, उम्र 50 वर्ष
 निवासी आवरिया, तहसील आमला,
 जिला बैतूल (म.प्र.)

..... वादी

वि रू द्ध

1. गोरू वलद जुगरू, उम्र 45 वर्ष
2. नजरू वल्द जुगरू, उम्र 44 वर्ष
3. झमोती पति गोरू, उम्र 40 वर्ष
4. सुनीता पति नजरू, उम्र 37 वर्ष
5. किसन वल्द बाजी, उम्र 45 वर्ष,
 सभी निवासी ग्राम ठानी,
 तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
6. जगनू वल्द बाजी (फौत)
 द्वारा विधिक वारसान
 1. माटू वल्द जगनू, उम्र 32 वर्ष
 2. छोटू वलद जगनू, उम्र 30 वर्ष
 3. सुखिया पति जगनू, उम्र 65 वर्ष
 4. कमलवती पति मंगलसिंह, उम्र 22 वर्ष
 चारो निवासी ग्राम ठानी,
 तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
 5. मालती पति चडडू, उम्र 24 वर्ष
 निवासी रतेड़ाकला, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
 6. भागो पति पिन्दू, उम्र 26 वर्ष
 निवासी बोरी खुर्द, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
 7. जगोति पति गोरू, उम्र 30 वर्ष,
 निवासी ठानी, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
7. मदन वल्द अमरू, उम्र 47 वर्ष
8. जयाबाई पति अमरू, उम्र 65 वर्ष
 दोनों निवासी आवरिया,
 तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
9. मध्यप्रदेश राज्य, द्वारा कलेक्टर
 जिला बैतूल (म.प्र.)

..... प्रतिवादीगण

—: (निर्णय) :—

(आज दिनांक 20.12.2017 को घोषित)

1 वादी द्वारा यह दावा ग्राम ठानी तहसील आमला जिला बैतूल स्थित ख.नं. 72/1 रकबा 1.500 हे तथा खसरा नंबर 132 रकबा 0.300 हे. जिसकी तत्समय चतुर्सीमा उत्तर में इंदल की जमीन, दक्षिण में किसन की जमीन, पूर्व में नाला एवं पश्चिम के जालिम की जमीन है (अत्र पश्चात विवादित भूमि) के स्वत्व घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2 प्रकरण में यह स्वीकृत है कि खसरा नंबर 72 एवं खसरा नंबर 132 के मूल भूमि स्वामी सहखातेदार गेंदलाल, इंदल, बलीराम, देवाजी, मंगल, शंकर, सेवाराम थे। यह भी स्वीकृत है कि प्रतिवादीगण द्वारा उपर्युक्त भूमि स्वामियों/सह खातेदारों से खसरा नंबर 72 कर भिन्न-भिन्न रकबा क्रय किया गया। प्रकरण में यह भी स्वीकृत है कि वादी तथा प्रतिवादी क्रमांक 7 एवं 08 एक ही परिवार के हैं।

3 वादी द्वारा प्रस्तुत दावा संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी के द्वारा विवादित भूमि दिनांक 23.08.1984 को विक्रेता शंकर के द्वारा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया। उसके विक्रय पत्र के आधार पर ऋण पुस्तिका भी बनी परंतु उसके द्वारा नामांतरण नहीं करवाया गया। जब उसे प्रमाणपत्र हेतु राजस्व दस्तोवजों की आवश्यकता हुई तब उसे यह जानकारी मिली कि विवादित भूमि पर उसका नाम ही दर्ज नहीं है। तब वादी के द्वारा तहसील न्यायालय में अपना नाम दर्ज कराए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, परंतु राजस्व प्रकरण क्रमांक 68अ/6 में तहसीलदार के आदेश दिनांक 24.01.2008 में यह आदेश किया गया कि विवादित भूमि खसरा नंबर 72 एवं 132 भिन्न-भिन्न नामों में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, विक्रेता के नाम पर कोई भी भूमि शेष नहीं है। अतः वादी का आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया गया। जबकि वादी के द्वारा विवादित भूमि प्रतिवादीगण से पूर्व क्रय कर ली गई थी तथा वादी क्रय की गई भूमि का स्वत्वाधिकारी एवं आधिपत्यधारी है। अतः वादी के द्वारा अपने स्वत्व की घोषणा एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है।

4 प्रतिवादी क्रमांक 01 से 04 के द्वारा संयुक्त रूप से तथा प्रतिवादी क्रमांक 06 के वारसानों ने पृथक रूप से वाद पत्र का लिखित जवाब प्रस्तुत कर उसमें यह अभिवचन किया गया है कि विवादित भूमि का मूल खसरा नंबर 72 रकबा 8.478 हे. एवं खसरा नंबर 132 का कुल रकबा 0.745 हे. था, जो कि मूल भूमि स्वामी/सहखातेदार गेंदलाल, इंदल, बलीराम, देवाजी, मंगल, शंकर, सेवाराम के नाम पर दर्ज थी। सहखातेदार मंगल के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 05 बिसन को विक्रय पत्र दिनांक 08.11.1982 के माध्यम से खसरा नंबर 72 का रकबा 1.527

तथा सहखातेदार इंदल के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 08 जयाबाई को विक्रय पत्र दिनांक 03.02.1984 के माध्यम से खसरा नंबर 72 का रकबा 1.786 हे., तथा सहखातेदार सेवाराम के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 07 मदन को विक्रय पत्र दिनांक 03.02.1984 के माध्यम से खसरा नंबर 72 का रकबा 1.413 हे. विक्रय किया गया तथा सहखातेदार इंदल के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 6 जुगनु को विक्रय पत्र दिनांक 27.06.1984 के माध्यम से खसरा नंबर 72 का रकबा 0.606 हे. तथा सहखातेदार गेंदलाल, सेवाराम के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक गोरु को विक्रय पत्र दिनांक 13.06.1986 के माध्यम से खसरा नंबर 72 का रकबा 0.708 हे. एवं सह खातेदार गेंदलाल के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 03 एवं 04 को विक्रय पत्र दिनांक 12.05.1997 के माध्यम से खसरा नंबर 72 का शेष रकबा 2.428 हे. विक्रय किया गया तथा विवादित भूमि खसरा नंबर 132 का पूर्ण रकबा 0.745 हे. विक्रेता/सहखातेदार गेंदलाल, इंदल एवं शंकर के द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 16.08.2001 को विक्रय किया गया।

5 उपर्युक्त विक्रय पत्रों के आधार पर उपर्युक्त प्रतिवादीगण के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुए। खसरा नंबर 132 के विक्रय पत्र के निष्पादन के समय सहखातेदार शंकर ने प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 02 गोरु एवं नजरु को यह बताया था कि वादी फूलसिंह ने 4000 रु. के कर्ज की आड़ में दिखावटी लिखवा लिया था, परंतु ऐसा विक्रय का संव्यवहार नहीं हुआ था। वादी के द्वारा नामांतरण की कार्यवाही नहीं करवाई गई। वादी का विवादित भूमि पर कोई भी स्वत्व एवं आधिपत्य नहीं है। प्रतिवादीगण सद्भावित क्रेता हैं। वादी के द्वारा सहखातेदारों के विरुद्ध विभाजन का वाद नहीं लाया गया, ना ही मूल भूमि स्वामियों को पक्षकार बनाया गया। साथ ही समय सीमा में भी वाद प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः दावा खारिज किया जाए।

6 प्रतिवादी क्रमांक 05, 07 एवं 08 की ओर से संयुक्त रूप से वादपत्र का जवाब प्रस्तुत कर वाद पत्र के अभिवचनों को स्वीकार किया गया एवं अतिरिक्त में यह कथन लेख किया गया कि प्रतिवादीगण क्रय दिनांक से क्रयशुदा भूमि पर काबिज हैं। राजस्व दस्तावेजों में उनका नाम भी दर्ज है। वादी के द्वारा उनके विरुद्ध कोई अनुतोष भी नहीं चाहा गया है। उन्हें अनावश्यक पक्षकार बनाया गया है। अतः उन्हें उचित अनुतोष दिलाया जाए।

7 वाद के उचित न्यायपूर्ण निराकरण हेतु पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्न वाद प्रश्नों की रचना की गयी और साक्ष्य विवेचना उपरांत उनके समक्ष मेरे द्वारा निष्कर्ष अंकित किये गये हैं :-

क.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या वादी विवादित ख.नं. 72/1 रकबा 1.500 हे. तथा ख.नं. 132 रकबा 0.300 हे. स्थित ग्राम ठानी तहसील आमला जिला बैतूल का स्वत्वाधिकारी है ?	

2.	क्या वादी ने उक्त विवादित खसरा नंबर का विक्रय पत्र दिनांक 23.08.1984 के द्वारा क्रय कर स्वत्व प्राप्त किया?	
3.	क्या वादी का उक्त विवादित खसरा नंबर पर क्रय दिनांक से आधिपत्य है ?	
4.	क्या प्रतिवादीगण द्वारा वादी के उक्त आधिपत्य पर हस्तक्षेप किया जा रहा है ?	
5.	क्या विवादित ख.नं. 72/1 के संबंध में प्रतिवादी क्र. 01 के पक्ष में निष्पादित विक्रय दिनांक 13.06.1986 एवं प्रतिवादी क्र. 03 व 04 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 12.05.1997 वादी के हक व हित के विपरीत होकर शून्य है ?	
6.	क्या विवादित ख.नं. 132 के संबंध में प्रतिवादी क्र. 01 व 02 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 16.08.2001 वादी के हक व हित के विपरीत होकर शून्य है ?	
7.	क्या दावा वादी द्वारा विवादित खसरा नंबर के विक्रेता सहखातेदारों के विरुद्ध विभाजन का वाद न लाये जाने के कारण अप्रचलनीय है ?	
8.	क्या दावा अवधि बाह्य है ?	
9.	सहायता एवं वाद व्यय ?	

विवेचना एवं सकारण निष्कर्ष

वाद प्रश्न क्र. 01 एवं 02 का निराकरण

8 वादी ने अपने वाद पत्र एवं मुख्य परीक्षण शपथ पत्र में यह अभिवचन किया है कि उसके द्वारा खसरा नंबर 72/1 में से रकबा 1.500 हे. तथा

खसरा नंबर 132 में से 0.300 हे. भूमि विक्रय पत्र दिनांक 23.08.1984 द्वारा विक्रेता शंकर से क़य की गई थी। क़य जमीन की चर्तुसीमा उत्तर में इंदल की जमीन, दक्षिण में किसन की, पूर्व में नाला तथा पश्चिम में जालम की जमीन थी। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर वादी ने ऋण पुस्तिका भी बनवाई थी, परंतु राजस्व दस्तावेजों में वह अपना नाम नहीं लिखवा पाया था।

9 प्रतिवादी क्रमांक 01 से 04 ने अपने जवाब दावे में यह लेख किया कि मूल खसरानंबर 72 के मूल भूमि स्वामी गेंदलाल, इंदल, बलीराम, देवाजी, मंगल, शंकर तथा सेवाराम के सहखातेदारों ने बिना विभाजन कराए खसरा नंबर 72 का भिन्न-भिन्न रकबा प्रतिवादीगण को विक्रय किया। प्रतिवादी क्रमांक 1 गोरु ने खसरा नंबर 72/1 में से 0.708 हे. भूमि विक्रय पत्र दिनांक 13.06.1986 के माध्यम से गेंदलाल, सेवाराम से क़य की। तत्पश्चात् खसरा नंबर 72/1 में से रकबा 2.428 हे. भूमि प्रतिवादी क्रमांक 3 एवं 4 ने विक्रय पत्र दिनांक 12.05.1997 के माध्यम से क़य की। इसके पश्चात् प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 02 ने विक्रेता गेंदलाल, इंदल, शंकर से खसरा नंबर 132 का पूर्ण रकबा 0.745 हे. विक्रय पत्र दिनांक 16.08.2001 द्वारा क़य की तथा क़य दिनांक से ही प्रतिवादी गण का क़य की गई भूमियों पर स्वत्व एवं आधिपत्य चला आ रहा है। वादी के द्वारा विवादग्रस्त भूमि कभी भी क़य नहीं की गई और ना ही उसके द्वारा कोई नामांतरण की कार्यवाही करवाई गई और ना ही उसका विवादित भूमि के किसी भाग पर आधिपत्य है।

10 फूलसिंह (वा.सा.-1) ने अपने कथनों में यह बताया कि उसके द्वारा जमीन शंकर से क़य की गई थी। जब उसने जमीन क़य की तब खसरा नंबर 72 सेवाराम, शंकर, गेंदलाल, इंदल के नाम पर थी। इस सुझाव को गलत बताया कि उसने शंकर से जो जमीन खरीदी थी, उसने शंकर को उसके कोई पैसे नहीं दिए। स्वतः कहा कि पैसे नहीं देता रजिस्ट्री कैसे होती। जिस समय जमीन की रजिस्ट्री हुई वह रजिस्ट्रार ऑफिस गया था। स्वतः कहा पिताजी भी गए थे। रजिस्ट्री के समय बड़े भैया सुंदरलाल भी गए थे, और महंगीलाल भी गया था। महंगीलाल (वा. सा.-4) ने अपने कथनों में यह बताया कि फूलसिंह की जमीन की रजिस्ट्री सन् 1984 में हुई थी रजिस्ट्री में जो लिखा है वह सही है। रजिस्ट्री मैंने सुनी थी, उसके बाद हस्ताक्षर किए थे। कुछ पैसे तोरणवाड़ा में दिए थे, और कुछ पैसे रजिस्ट्री की समय दिए गए थे। जब रजिस्ट्री करने बैठल गए थे, तब फूलसिंह का पिता अमरु, फूलसिंह और भी अन्य लोग थे, जिनके नाम आज मुझे याद नहीं हैं।

11 बी.पी. साहू (वा.सा.-6) ने अपने कथनों में यह बताया कि विक्रय पत्र दिनांक 23.08.1984 को ग्रंथ क्रमांक 834 एवं दस्तावेज क्रमांक 1269 है, जो वह साथ लेकर आया है, जिसके अनुसार क्रेता फूलसिंह ने विक्रेता शंकर खसरा नंबर 72/1 में से 1.500 हे. भूमि तथा खसरा नंबर 132 में से 0.300 हे. कुल रकबा 1.800 हे. क़य की थी, जिसकी चर्तुसीमा उत्तर में इंदल की भूमि, दक्षिण में किसन, पूर्व में नाला, पश्चिम में जालम की जमीन है। प्रति परीक्षण में साक्षी ने यह

बताया कि पंजीयन उसके समक्ष नहीं हुआ था, किन परिस्थितियों में पंजीयन हुआ था, इसकी उसे जानकारी नहीं है। दोनों खसरा नंबरों की एक ही चतुर्सीमा थी तथा विक्रय पत्र में प्रतिफल पहले ही पा लेना लेख है। स्वतः कहा कि तुरंत भी हो सकता है।

12 प्रतिवादी साक्षी गोरु (प्र.सा.-1) ने अपने कथनों में यह बताया कि जब फूलसिंह ने तहसील न्यायालय में केस लगाया था तब उसे जानकारी मिली थी कि झगड़े वाली जमीन हमारे खरीदने से पहले फूलसिंह ने खरीद ली है। झगड़े वाली जमीन का कभी सीमांकन की कार्यवाही उसके द्वारा नहीं कराई गई। जब तहसील न्यायालय में प्रकरण चल रहा था, तब विक्रेता शंकर ने कहा था कि उसने एक हिस्सा फूलसिंह को बेचा है। स्वतः कहा कि यह भी कहा था कि बाकी बचा भाग गोरु को बेचा है। इस सुझाव का गलत बताया कि शंकर ने उसे बताया कि उसने कर्ज के एवज में जमीन की रजिस्ट्री को फूलसिंह को करा दी थी।

13 वादी की ओर से अपने अभिवचनों के समर्थन में दस्तावेज विक्रय पत्र दिनांक 23.08.1984 (प्रदर्श पी-1) की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है तथा तहसील न्यायालय में विवादित भूमि के संबंध में प्रकरण क्रमांक 68अ-6/2013 के संबंध में पटवारी के द्वारा दिया गया प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-13) आदेश पत्रिका (प्रदर्श पी-14) था साक्षीगण फूलसिंह, सुंदरलाल, महंगीलाल, शंकर तथा गोरु तथा नजरु के मुख्य परीक्षण शपथ पत्र जो कि क्रमशः (प्रदर्श पी-15 लगायत 21) हैं तथा प्रकरण में आवेदक की ओर से किए गए अंतिम तर्क (प्रदर्श पी-22) प्रस्तुत किया है। जबकि प्रतिवादी क्रमांक 01 से 04 की ओर से विवादित भूमि पर स्वयं के स्वत्व एवं आधिपत्य के संबंध में दस्तावेज विक्रय पत्र दिनांक 16.08.2001 (प्रदर्श डी-4) विक्रय पत्र दिनांक 12.05.1997 (प्रदर्श डी-5) विक्रय पत्र दिनांक 13.06.1986 (प्रदर्श डी-6) तथा राजस्व दस्तावेज खसरा पंचसाला वर्ष 2001 से 2006 प्रदर्श क्रमशः (प्रदर्श डी-1) (प्रदर्श डी-2) एवं (प्रदर्श डी-3) तथा खसरा पंचसाला वर्ष 2011-12 प्रदर्श क्रमशः (प्रदर्श डी-7 लगायत 10) तथा खसरा वर्ष 1990-91 (प्रदर्श डी-11) एवं (प्रदर्श डी-12), खसरा वर्ष 1992 से 1997 (प्रदर्श डी-13 लगायत 16), खसरा पंचसाला वर्ष 1979 से 1983 (प्रदर्श डी-17) खसरा पंचसाला वर्ष 1983 से 1988 (प्रदर्श डी-18), खसरा पंचसाला 2007 से 2011 (प्रदर्श डी-19 एवं 20), खसरा पंचसाला वर्ष 2001 से 2006 प्रदर्श डी-21 एवं 22 तथा खसरा पंचसाला वर्ष 1996 से 1999 क्रमशः प्रदर्श डी-23, 24 एवं 25 प्रस्तुत किया है।

14 वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज (प्रदर्श पी-1) के अवलोकन से वादी फूलसिंह द्वारा शंकर से खसरा नंबर 72/1 एवं 132 का क्रय किया जाना प्रकट हो रहा है। साथ ही वादी की ओर से अन्य दस्तावेज तहसील न्यायालय में चले प्रकरण के संबंध में हैं, जो कि वादी द्वारा विवादित भूमि पर नाम दर्ज कराए जाने के संबंध में प्रस्तुत किया गया था। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज विक्रय पत्र (प्रदर्श डी-4) के अवलोकन से प्रतिवादी गोरु एवं नजरु के द्वारा गेंदलाल एवं इंदल तथा शंकर से खसरा नंबर 132 का रकबा 0.745 हे. दिनांक

16.08.2001 को क्रय किया जाना प्रकट हो रहा है। तथा दस्तावेज (प्रदर्श डी-5) के अवलोकन से प्रतिवादी झमौती एवं सुनीता के द्वारा विवादित भूमि खसरा नंबर 72/1 में से रकबा 2.428 हे. दिनांक 12.05.1997 को क्रय किया जाना एवं दस्तावेज (प्रदर्श डी-6) के अवलोकन से प्रतिवादी गोरु के द्वारा गेंदलाल, सेवाराम, से खसरा नंबर 72/1 में से 0.708 आरे भूमि दिनांक 13.06.1986 को क्रय किया जाना प्रकट हो रहा है तथा प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व दस्तावेज खसरा के अवलोकन से विवादित भूमियां खसरा नंबर 72 एवं 132 मूल भूमि स्वामी गेंदलाल, इंदल, देवाजी, मंगल, शंकर, सेवाराम के नाम पर दर्ज होना तथा अन्य राजस्व दस्तावेज खसरा पंचसाला के अवलोकन से प्रतिवादीगण द्वारा भूमियां क्रय किए जाने के उपरांत उनके नाम पर दर्ज होना प्रकट हो रही है।

15 वादी के द्वारा विवादित भूमि पर अपने स्वत्व के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में विक्रय पत्र दिनांक 23.08.1984 (प्रदर्श पी-1) की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है तथा विक्रय पत्र के गवाह महंगीलाल (वा.सा.-4) एवं उप पंजीयक अधिकारी बी.पी. साहू (वा.सा.-6) के न्यायालय में कथन कराए गए हैं। प्रतिवादी क्रमांक 01 से 04 में अपने जवाब दावा में यह अभिवचन किया गया है कि जब उसके द्वारा विवादित जमीन खसरा नंबर 132 क्रय की जा रही थी तब विक्रेता शंकर ने यह बताया था कि फूलसिंह ने 4000 रु. कर्ज राशि के एवज में विक्रय पत्र लिखवा लिया है, जो कि झूठा है एवं उसने 4000 रु. भी फूलसिंह को लौटा दिए हैं। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा में यह भी लेख किया है कि फूलसिंह ने जो विक्रय पत्र लिखवा लिया है, वह दिखावटी है, वास्तव में कोई विक्रय सम्बन्ध नहीं हुआ था। स्पष्टतः प्रतिवादीगण को इस बात की जानकारी प्राप्त हो गई थी कि फूलसिंह के पक्ष में विक्रय पत्र लिखा गया है। अतः ऐसी स्थिति में पश्चातवर्ती क्रेतागण पर क्रेता सावधान का नियम लागू होता है। साथ ही प्रतिवादीगण के अभिवचन से यह दर्शित हो रहा है कि विक्रय पत्र का निष्पादन स्वयं प्रतिवादीगण स्वीकार कर रहे हैं। फूलसिंह ने जो विक्रय पत्र करवा है वह दिखावटी एवं झूठा है, ऐसा अभिवचन प्रतिवादीगण का है। अतः ऐसी स्थिति में प्रमाण भार भी प्रतिवादीगण पर चला जाता है।

16 वादी की ओर से राजस्व न्यायालय में चले प्रकरण में विक्रेता शंकर के हुए कथनों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है, जिसके अवलोकन से विक्रेता शंकर के द्वारा फूलसिंह को जमीन का विक्रय किया जाना बताया गया है। स्वयं प्रतिवादी गोरु ने यह सही होना बताया कि उसके समक्ष तहसील न्यायालय में शंकर ने फूलसिंह को जमीन बेचा जाना बताया था। इसके अलावा जिस तिथि को वादी के पक्ष में विक्रय पत्र का पंजीयन हुआ है, उसी दिनांक को स्टाम्प विक्रेता शंकर के द्वारा किए गए हैं। उपर्युक्त तथ्य यह दर्शित करता है कि विक्रेता शंकर के द्वारा स्वेच्छया विक्रय पत्र निष्पादित किया गया था।

17 **तर्क के दौरान एवं लिखित तर्क में** प्रतिवादी अधिवक्ता श्री पाठक ने यह प्रकट किया कि वादी के द्वारा विक्रेता शंकर को या अन्य खातेदारों

को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जबकि वादी अधिवक्ता ने यह तर्क प्रकट किया कि स्वयं प्रतिवादीगण अपने अभिवचनों में वादी फूलसिंह के विक्रय पत्र का निष्पादन स्वीकार कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में विक्रेता को पक्षकार बनाए जाना आवश्यक नहीं है। तर्कों के परिप्रेक्ष्य में यह उल्लेखनीय है कि आवश्यक पक्षकार वह है, जिसके अभाव में प्रभावपूर्ण डिक्री पारित ना की जा सके एवं जिसका डिक्री से हित प्रभावित हो, परंतु उपर्युक्त प्रकरण में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में विक्रेता शंकर प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं है।

18 प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा तर्क के दौरान यह भी प्रकट किया गया कि वादी की ओर से प्रस्तुत विक्रय पत्र दिनांक 23.08.1984 में दो खसरा नंबर 72/1 एवं 132 में से रकबा क्रय किए जाने का उल्लेख है, परंतु चर्तुसीमा दोनों खसरा नंबरों की एक ही उल्लेखित है, जो कि संभव नहीं। साथ ही यह भी प्रकट किया कि खसरा नंबर 132 एवं 72 के बीच में रास्ता है, ऐसी स्थिति में उनके आपस में लगा होना भी नहीं माना जा सकता। स्वयं वादी की ओर से प्रस्तुत नक्शा (प्रदर्श पी-7) से भी उपर्युक्त स्थिति दर्शित हो रही है। तर्क के परिप्रेक्ष्य में वादी की ओर से प्रस्तुत नक्शा वर्ष 2013-14 का प्रस्तुत किया गया है तथा विक्रय पत्र दिनांक 1984 का है एवं प्रतिवादी गोरु एवं नजरु के द्वारा खसरा नंबर 132 कर पूर्ण रकबा वर्ष 2001 में क्रय किया जाना (प्रदर्श डी-4) से दर्शित हो रहा है। प्रतिवादीगण के द्वारा खसरा नंबर 132 वादी के द्वारा भूमि क्रय किए जाने के लगभग 17 वर्ष बाद क्रय किया गया। वर्ष 1984 के समय का खसरा नंबर 132 एवं 72 का नक्शा उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि वर्ष 2013-14 में खसरा नंबर 72 एवं 132 के मध्य जो स्थिति है वह वर्ष 1984 में भी रही होगी। खसरा नंबर 72 एवं 132 का आपस में लगे होने की स्थिति विवादित नहीं है। उपर्युक्त परिस्थिति में प्रतिवादी अधिवक्ता का तर्क अमान्य किया जाता है।

19 वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज विक्रय पत्र दिनांक 23.08.1984 रजिस्टर्ड है। अतः धारा 114 साक्ष्य अधिनियम के अधीन यह उपधारणा की जा सकती है कि विक्रय पत्र का निष्पादन उचित रूप से हुआ है, जब तक कि उसका खंडन किसी तर्कपूर्ण साक्ष्य द्वारा नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत राजेन्द्र प्रसाद विरुद्ध अतुल कुमार 2005 (5) एम.पी.एच.टी.383 अवलोकनीय है।

20 प्रतिवादी अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि वादी के द्वारा लंबे समय तक नामांतरण ना कराए जाने से उसका विवादित भूमि पर हक संदेहास्पद हो जाता है। साथ ही इस संबंध में न्यायादृष्टांत नारायण प्रसाद एवं अन्य विरुद्ध तुलसीदास वर्ष 2002 आर.एन.306 (एच.सी.) तथा सुखसेन विरुद्ध कामतैया वर्ष 2005 (I) MPWN Note 98 (HC) तथा बलराम किरार विरुद्ध रामकृष्ण वर्ष 2002 आर.एन. 227 (HC) प्रस्तुत किया है। परंतु यह सुस्थापित विधि है कि मात्र नामांतरण से स्वत्व का अर्जन नहीं माना जा सकता। अर्थात्

केवल नामांतरण ही स्वत्व का द्योतक नहीं है। फलतः वादी के द्वारा राजस्व अभिलेखों में मात्र अपना नाम दर्ज ना कराए जाने पर विवादित भूमि पर उसके स्वत्व के संबंध में विपरीत उपधारणा नहीं की जा सकती।

21 उपर्युक्तानुसार की गई साक्ष्य विवेचना अनुसार यह प्रमाणित पाया जाता है कि वादी फूलसिंह द्वारा विवादित भूमि खसरा नंबर 72/1 में से 1.500 हे. तथा खसरा नंबर 132 में से 0.300 हे. कुल रकबा 1.800 हे. क़य कर स्वत्व प्राप्त किया गया। अतः वादी विवादित भूमि का स्वत्वाधिकारी होना प्रमाणित पाया जाता है। फलतः वादप्रश्न क्र. 01 एवं 02 “हां” के रूप में निष्कर्षित किये जाते हैं।

वाद प्रश्न क. 03 का निराकरण

22 वादी ने अपने वाद पत्र में एवं मुख्य परीक्षण शपथ पत्र में यह अभिवचन किया है कि विवादित भूमि पर क़य दिनांक से उसका ही आधिपत्य है। जबकि प्रतिवादी क्रमांक 05, 07, 08 ने वादी के अभिवचनों को समर्थन किया है, परंतु प्रतिवादी क्रमांक 01 से 04 एवं प्रतिवादी क्रमांक 06 के वारसानों ने अपने जवाब दावे में यह लेख किया है कि विवादित भूमि पर वादी काबिज काश्त नहीं है तथा विवादित भूमियों को उनका क़य दिनांक से आधिपत्य चला आ रहा है और राजस्व अभिलेखों में उनका नाम कब्जेदार के रूप में दर्ज है।

23 फूलसिंह (वा.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया कि विक्रेता शंकर उसे विवादित भूमि का कब्जा वर्ष 1984 में दे दिया था। इस सुझाव को सही बताया कि खसरा नंबर 72 में से उसकी माँ ने भी जमीन खरीदी है, परंतु इस सुझाव को गलत बताया कि जो जमीन उसकी माँ ने खरीदी है उसपर वह और उसके भाई खेती करते हैं। स्वतः कहा कि बड़े भाई सुंदरलाल खेती करते थे, जब वह फौत हुए तो उसके बच्चे उसकी माँ की जमीन पर खेती कर रहे हैं। खसरा नंबर 72 में से उसके भाई मदन ने भी जमीन खरीदी थी। किसन की जमीन उसकी जमीन के नीचे साइड में है तथा प्रतिवादी गोरु एवं नजरु की जमीन उसकी माँ की जमीन के उपर तरफ है तथा प्रतिवादी सुनीता और झमौती की जमीन उसकी जमीन के दिन डूबते तरफ है। इस सुझाव को गलत बताया कि खसरा नंबर 72 की किसी भी जमीन पर उसका कब्जा नहीं है।

24 मंदा (वा.सा.-2) ने यह बताया कि जबसे फूलसिंह ने जमीन खरीदी है, तब से वह काबिज है। प्रतिवादी गोरु नजरु, सुनीता और झमौती की जो जमीन है उसपर वे लोग खेती करते हैं। स्वतः कहा कि ये जमीन उपर नहीं है। फूलसिंह करीब 4 एकड़ भूमि पर खेती करता है। फूलसिंह की जमीन के दिन उगते तरफ नाला है, दिन डूबते तरफ जयराम की जमीन, महादेव तरफ मदन तथा बरार तरफ किसन की जमीन है। मदन (वा.सा.-2) ने अपने कथनों में यह बताया कि विवादित जमीन के महादेव तरफ उसकी जमीन है, बरार तरफ फूलसिंह की जमीन है, दिन

उगते तरफ नाला है और दिन डूबते तरफ नाला है। इस सुझाव को गलत बताया कि विवादित जमीन पर फूलसिंह का कभी भी कब्जा नहीं रहा। किसन (वा.सा.—3) ने अपने कथनों में यह बताया कि फूलसिंह ने जा जमीन खरीदी थी, उसके महादेव तरफ सेवा की जमीन, बरार तरफ शंकर की, दिन उगते तरफ नाला और दिन डूबते तरफ रास्ता है। फूलसिंह की जमीन की वर्तमान चतुर्सीमा भी उसे पता है। महादेव तरफ मदन की जमीन, बरार तरफ उसकी जमीन, दिन उगते तरफ नाला और दिन डूबते तरफ रास्ता है। मुन्नु (वा.सा.—5) ने अपने कथनों में विवादित भूमि पर कब्जे के संबंध में कोई भी जानकारी ना होना बताया है। अतः ऐसी स्थिति में उपर्युक्त साक्षी के कथनों से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

25 प्रतिवादी साक्षी गोरु (प्र.सा.—1) ने अपने कथनों में यह बताया कि फूलसिंह और अमरु ने जो जमीन खरीदी थी, उससे लगी हमारी जमीन है। लगभग 6 एकड़ है। स्वतः कहा कि उसकी जमीन जयाबाई की जमीन से लगी है, फूलसिंह की जमीन से नहीं लगी। इस सुझाव को सही बताया कि जिस जमीन पर फूलसिंह और उसके बच्चे खेती करते हैं, उसके दक्षिण में किसन की जमीन है, उसे इतना मालूम है फूलसिंह अपनी माँ जयाबाई और मदन की जमीन जोत रहा है। फूलसिंह और उसका परिवार जहां खेती करता है, वहां दिन उगते तरफ नाला है। इस सुझाव को गलत बताया कि उक्त जमीन की दिन डूबते तरफ जालम की जमीन है। स्वतः कहा कि उसने ले लिया है। इस सुझाव को सही बताया कि 20 साल पहले जालम की जमीन थी। उसके द्वारा क़य की गई भूमि पर उसका नाम दर्ज होने के बाद उसके द्वारा सीमांकन नहीं कराया गया था। स्वतः में साक्षी ने बताया कि उसे बताया गया था कि ये तुम्हारा भाग है और उसने जोतना शुरू कर दिया।

26 सुकमन (प्र.सा.—2) जो कि प्रतिवादी नजरु का पुत्र है, ने अपने कथनों में यह बताया कि फूलसिंह की माँ की जमीन से लगी हुई है। उसे अपने जमीन की चतुर्सीमा उसे पता है। उत्तर की ओर जयाबाई, पूर्व में रास्ता, पश्चिम में नाला, दक्षिण में नाला है। जयाबाई की जमीन के दक्षिण की तरफ उसके काका की जमीन है। फूलसिंह अपनी माँ की जमीन पर खेती करता है। फूलसिंह और उसके बच्चों ने गन्नावाड़ी और सोयाबीन बोया है। जयराम (प्र.सा.—3) ने अपने कथनों में यह बताया कि खसरा नंबर 72 एवं 132 फूलसिंह, गोरु एवं नजरु का है, क्योंकि वह बाजू में रहता है। फूलसिंह ने मक्का, धान, सोयाबीन की फसल बोयी है। फूलसिंह ने जब जमीन ली थी उसके महोदव तरफ इंदल की जमीन, बरार तरफ किसन की, दिन उगते तरफ नाला और दिन डूबते तरफ जालम की बाड़ी थी। यह सही है कि फूलसिंह को जमीन में हक मिलना चाहिए। स्वतः कहा कि उसकी माँ की जमीन में हक मिलना चाहिए। फूलसिंह ने कोई जमीन नहीं खरीदी, उसकी माँ ने खरीदी थी। इस प्रकार साक्षी ने विरोधाभासी कथन किए हैं, जिससे विवादित भूमि पर कब्जे के संबंध में कोई भी निष्कर्ष दिया जाना उचित नहीं है।

27 गणेश (प्र.सा.—4) ने अपने कथनों में यह बताया कि फूलसिंह और

उसके बच्चे अपनी जमीन पर खेती करते हैं। फूलसिंह जहां पर खेती करता है उसके उत्तर में रास्ता, दक्षिण में नाला, पूर्व में रास्ता, पश्चिम में नाला है। जिस जमीन पर फूलसिंह खेती करता है, उस पर कभी भी प्रतिवादीगण ने कब्जा नहीं किया। प्रतिवादी नजरु एवं गोरु की जमीन गांव से अलग है, जिसपर वे खेती करते हैं।

28 अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक साक्ष्य के आधार पर यह प्रकट हो रहा है कि वादी फूलसिंह की पड़ोसी काशतकार किसन एवं मदन है तथा किसन एवं मदन ने अपने कथनों में फूलसिंह की जमीन की चतुर्सीमा लगभग सही-सही होना तथा स्वयं को फूलसिंह का पड़ोसी काशतकार होना बताया है। साथ ही मदन के विक्रय पत्र प्रपी24 के अवलोकन से मदन के विक्रय पत्र की चतुर्सीमा में दक्षिण में शंकर की जमीन होना लेख है तथा वादी फूलसिंह के द्वारा शंकर से ही जमीन क्रय की गई है। स्पष्टतः फूलसिंह मदन का पड़ोसी काशतकार है। यद्यपि प्रतिवादी साक्षीगण ने अपने कथनों में यह बताया है कि फूलसिंह अपनी माँ जयाबाई की जमीन पर काशत करता है। परंतु स्वयं प्रतिवादी गोरु ने यह बताया कि उसकी जमीन जयाबाई की जमीन से लगी है। जयाबाई के विक्रय पत्र प्रपी25 एवं प्रतिवादी गोरु के विक्रय पत्र (प्रदर्श डी-6) के अवलोकन से प्रतिवादी गोरु का पड़ोसी काशतकार होना प्रकट हो रहा है, क्योंकि जयाबाई के विक्रय पत्र ने लेख चोहददी के उत्तर में गेंदलाल एवं दक्षिण में सेवाराम की बची जमीन लेख है तथा प्रतिवादी गोरु ने विक्रेता गेंदलाल से जमीन क्रय की है। साथ ही प्रतिवादी गोरु (प्र.सा.-1) ने अपने कथनों में यह बताया है कि जिस जमीन पर फूलसिंह एवं उसके बच्चे खेती करते हैं उसके दक्षिण में किसन की जमीन है तथा दिन उगते तरफ नाला है। स्पष्टतः प्रतिवादी गोरु ने अपने कथनों में वादी फूलसिंह के जिस जमीन पर काबिज है, उसकी जो चतुर्सीमा बताई है, वह जयाबाई की जमीन की चतुर्सीमा नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में प्रतिवादी साक्षियों को यह कथन की वादी फूलसिंह अपनी माँ की जमीन जोत रहा है, माना नहीं जा सकता।

29 प्रतिवादी अधिवक्ता का यह तर्क है कि प्रतिवादीगण की ओर राजस्व दस्तावेज खसरा क्रय दिनांक से निरंतर वर्षों के प्रस्तुत किए गए हैं। स्पष्टतः प्रतिवादीगण का कब्जा है और ऐसा कब्जा वादी के हक के प्रतिकूल होने का अनुमान किया जाना होगा। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **बलदेव प्रसाद वि. तीरथ प्रसाद 1991 आर.एन. 210 (एच.सी.)** प्रस्तुत किया है। परंतु साक्ष्य विवेचन में या अभिवचनों से कहीं पर भी यह दर्शित नहीं हो रहा है कि प्रतिवादीगण वादी के विक्रय पत्र में लेख चतुर्सीमा पर काबिज हैं। ऐसी स्थिति में उपर्युक्त न्यायदृष्टांत से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

30 अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक साक्ष्य के आधार पर यह प्रकट हो रहा है कि फूलसिंह विक्रय पत्र दिनांक 23.08.1984 में लेख चतुर्सीमा की भूमि पर ही काबिज है तथा प्रतिवादी गोरु का भी विक्रय पत्र दिनांक 13.06.1986 (प्रदर्श डी-6) में लेख चतुर्सीमा की भूमि पर काबिज होना दर्शित हो रहा है। प्रतिवादी

गोरु एवं नजरु के द्वारा खसरा नंबर 132 के पडोसी काश्तकार तथा प्रतिवादी सुनीता एवं झमौती के द्वारा खसरा नंबर 72 में से स्वयं के द्वारा कय की गई भूमि के पडोसी काश्तकारों के कथन नहीं कराए गए हैं, जो कि मौके पर उनके आधिपत्य के संबंध में महत्वपूर्ण साक्षी हैं। प्रतिवादी अधिवक्ता ने यह तर्क लिया कि वादी विवादित भूमि पर अपना आधिपत्य प्रमाणित नहीं कर सका है एवं कब्जे का अनुतोष्ण नहीं चाहा है। साथ ही इसके संबंध में **न्याय दृष्टांत गंगाधर विरुद्ध भंवरीबाई वर्ष 2012 (1) एम.पी.डब्ल्यू.एन. 37 (एच.सी.)** प्रस्तुत किया है, परंतु उपर्युक्तानुसार की गई साक्ष्य विवेचना अनुसार उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादी अधिसंभाव्य रूप से यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि वह विक्रय पत्र दिनांक 23.08.1984 में लेख चर्तुसीमा की भूमि पर काबिज है। अतः प्रतिवादी को उपर्युक्त न्यायदृष्टांत से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। तदनुसार वाद प्रश्न क्र. 03 “हां” के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

वाद प्रश्न क्र. 04 का निराकरण

31 वादी ने अपने वाद पत्र में यह अभिवचन किया है कि प्रतिवादीगण विवादित भूमि पर राजस्व दस्तावेजों में अपना नाम दर्ज होने के आधार पर भूमि का विक्रय अथवा अन्यथा अंतरण कर सकते हैं एवं आधिपत्य में भी हस्तक्षेप कर सकते हैं। जबकि प्रतिवादीगण क्रमांक 01 से 04 एवं 06 के वारसानों ने अपने जवाब दावों में यह लेख किया है कि विवादित भूमि पर जब वादी का आधिपत्य ही नहीं है और ना ही वादी का कोई स्वत्व है तब ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूमि के संबंध में किसी प्रकार से हस्तक्षेप किए जाने का कोई औचित्य ही नहीं है।

32 फूलसिंह (वा.सा.-1) ने अपने कथनों में यह बताया कि प्रतिवादीगण ने कभी भी विवादित भूमि के संबंध में कोई विवाद किया, ना ही नुकसानी पहुंचाई, ना ही कोई धमकी दी। ऐसी स्थिति में स्वयं वादी के कथन से यह प्रकट हो रहा है कि प्रतिवादीगण द्वारा उसके आधिपत्य में कभी कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया। चूंकि विवादित भूमि खसरा नंबर 72 एवं 132 के संबंध में प्रतिवादीगण क्रमांक 01 से 04 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र वादी फूलसिंह के विक्रय पत्र के निष्पादन के पश्चात् के हैं। साथ ही विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण क्रमांक 01 से 04 के नाम उनके विक्रय पत्रों के आधार पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण क्रमांक 01 से 04 के द्वारा विक्रय या अन्य संकामण द्वारा हस्तक्षेप की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त परिस्थिति में वादी प्रतिवादीगण क्रमांक 01 से 04 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। तदनुसार वाद प्रश्न क्र. 04 “हाँ” के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

वाद प्रश्न क्र. 05 एवं 06 का निराकरण

33 उभयपक्ष के मध्य यह निर्विवादित है कि मूल खसरा नंबर 72 एवं

132 के भूमि स्वामी गेंदलाल, इंदल, बलीराम, देवाजी, मंगल, शंकर, सेवाराम थे तथा उपर्युक्त भूमियों अविभाजित अवस्था में सहखातेदारों के द्वारा भिन्न-भिन्न क्षेत्रफल की भूमियां विक्रय की गईं। वादी के द्वारा विवादित भूमि खसरा नंबर 72/1 में से 1.500 हे. एवं खसरा नंबर 132 में से 0.300 हे. रकबा क़य किया जाना बताया गया है। एवं वाद प्रश्न क्रमांक 01 के निष्कर्षानुसार क़य की गई विवादित भूमि पर वादी का स्वत्व प्रमाणित पाया गया है। वादी फूलसिंह का विक्रय पत्र प्रतिवादी गोरु, नजरु, सुनीता तथा झमौती के विक्रय पत्र के पूर्व का है। मूल खसरा नंबर का कुल रकबा 8.478 हे. होना भी उभयपक्ष के मध्य विवादित नहीं है। वादी के विक्रय पत्र दिनांक 23.08.1984 खसरा नंबर 72/1 में से 1.500 हे. एवं खसरा नंबर 132 में से 0.300 हे. कुल रकबा 1.800 हे. के पूर्व वर्ष 1982 में किसन को खसरा नंबर 72 का रकबा 1.527 हे. जयाबाई को खसरा नंबर 72 का रकबा 1.786 हे. तथा मदन को खसरा नंबर 72 का रकबा 1.413 हे. एवं जगनु को खसरा नंबर 72 का रकबा 0.606 हे. विक्रय किया जाना अविवादित है। तत्पश्चात् वादी फूलसिंह के द्वारा खसरा नंबर 72 का रकबा 1.500 हे. क़य किया जाना प्रमाणित पाया गया है। उपर्युक्त परिस्थितियों में उपर्युक्त क़ेतागण द्वारा खसरा नंबर 72 का भिन्न-भिन्न रकबा क़य किए जाने पर शेष रकबा 1.646 हे. बचेगा। प्रतिवादी गोरु द्वारा खसरा नंबर 72 का रकबा 0.708 वर्ष 1986 में क़य किया गया। शेष बचे रकबे 1.646 हे. में से ही भूमि क़य की गई। अतः ऐसी स्थिति में विक्रय पत्र दिनांक 13.06.1986 से वादी के हित पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु तत्पश्चात् खसरा नंबर 72 में से रकबा 2.428 हे. प्रतिवादी सुनीता एवं झमौती के द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 12.05.1997 के द्वारा क़य किया गया तथा प्रतिवादी गोरु एवं नजरु के द्वारा खसरा नंबर 132 का पूर्ण रकबा 0.745 हे. क़य किया गया। जबकि वादी फूलसिंह द्वारा उपर्युक्त विक्रय पत्र के पूर्व अर्थात् 23.08.1984 को खसरा नंबर 132 में से 0.300 हे. क़य किया जाना प्रमाणित पाया है। अतः ऐसी स्थिति में खसरा नंबर 72 के संबंध में प्रतिवादी सुनीता एवं झमौती का विक्रय पत्र दिनांक 12.05.1997 एवं खसरा नंबर 132 के संबंध में प्रतिवादी गोरु एवं नजरु का विक्रय पत्र दिनांक 16.08.2001 जहां तक वादी के हित के विरुद्ध है शून्य एवं निष्प्रभावी होगा। तदनुसार वाद प्रश्न क्र. 05 एवं 06 उपर्युक्तानुसार निष्कर्षित किये जाते हैं।

वाद प्रश्न क्र. 07 का निराकरण

34 प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य यह निर्विवादित है कि खसरा नंबर 72 एवं खसरा नंबर 132 मूल भूमि स्वामियों के द्वारा उपर्युक्त भूमियों को भिन्न-भिन्न रकबा का विक्रय भूमि की अविभाजित स्थिति में किया गया था। प्रकरण में यह भी अनिर्विवादित है कि खसरा नंबर 132 को पूर्ण रकबा मूल भूमि स्वामियों के द्वारा विक्रय किया जा चुका है साथ ही खसरा नंबर 72 का भी लगभग पूर्ण रकबा विक्रय हो चुका है तथा क़ेतागण क़य की गई भूमियों पर काबिज भी हैं। तब ऐसी स्थिति में मूल भूमि स्वामियों के पास विवादित भूमि शेष नहीं बची है। अतः ऐसी स्थिति में वादी के द्वारा मूल भूमि स्वामियों/सहखातेदारों के विरुद्ध विभाजन का दावा लाए जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः

प्रस्तुत दावे में विभाजन का वाद ना लाए जाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फलतः वाद प्रश्न क्र. 07 “नहीं” के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

वाद प्रश्न क्र. 08 का निराकरण

35 वादी के द्वारा यह अभिवचन किया गया है कि वाद कारण राजस्व प्रकरण क्रमांक 68अ/6 वर्ष 2008-09 में पारित आदेश दिनांक 13.03.2013 से प्रारंभ हुआ, जब तहसीलदार के द्वारा वादी का नाम विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने से मना कर दिया गया। जबकि प्रतिवादी क्रमांक 01 से 04 ने अपने जवाब दावा में यह अभिवचन किया है कि दिनांक 13.03.2013 से कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ। वादी का दावा समय सीमा से बाहर है। परंतु प्रतिवादी की ओर से ऐसे स्पष्ट अभिवचन नहीं किए गए हैं कि वादी को दावा क्यों समयसीमा में नहीं है। परंतु यह उल्लेखनीय है कि वाद कारण उत्पन्न होने के संबंध में वाद पत्र का अभिवचन ही महत्वपूर्ण होता है। वाद कारण लिखित कथन में उठाये गये तथ्यों पर निर्भर नहीं होता है। वाद पत्र में दिनांक 13.03.2013 में वादीगण के द्वारा वाद कारण उत्पन्न होने का अभिवचन किया गया है। यद्यपि वादी के द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 13.03.2013 की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गई है, परंतु वादी की ओर से तहसील न्यायालय में राजस्व प्रकरण में क्रमांक 68अ/6 वर्ष 2008-09 में चली कार्यवाहियों के दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं तथा वादी के द्वारा यह दावा दिनांक 13.02.2014 को प्रस्तुत कर दिया गया है। वादी ने यह दावा स्वत्व घोषणा के लिए लाया है। अतः वाद कारण उत्पन्न होने से 3 वर्ष के भीतर दावा प्रस्तुत कर दिया गया है। अतः दावा समयावधि में होना प्रमाणित पाया जाता है। तदनुसार वाद प्रश्न क्र. 08 “नहीं” के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

वाद प्रश्न क्र. 09 का निराकरण

36 उपर्युक्तानुसार की गई साक्ष्य विवेचना के अनुसार वादी ठानी तहसील आमला जिला बैतूल स्थित ख.नं. 72/1 रकबा 1.500 हे तथा खसरा नंबर 132 रकबा 0.300 हे. जिसकी तत्समय चतुर्सीमा उत्तर में इंदल की जमीन, दक्षिण में किसन की जमीन, पूर्व में नाला एवं पश्चिम के जालिम की जमीन, में स्वत्व प्रमाणित करने में सफल रहा है तथा अपना दावा समय अवधि में होना तथा प्रतिवादीगण क्रमांक 01 से 04 को विवादित भूमि को विक्रय या अन्यथा अंतरण किये जाने से निषेधित किये जाने की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी पाया गया है। फलतः वादी द्वारा प्रस्तुत दावा स्वीकार कर किया जाता है तथा निम्न आशय की डिक्री पारित की जाती है :-

1. वादी ग्राम ठानी तहसील आमला जिला बैतूल स्थित ख.नं. 72/1 रकबा 1.500 हे तथा खसरा नंबर 132 रकबा 0.300 हे. का स्वत्वाधिकारी है।

2. विवादित भूमि खसरा नंबर 72 के संबंध में प्रतिवादी सुनीता एवं झमौती का विक्रय पत्र दिनांक 12.05.1997 एवं खसरा नंबर 132 के संबंध में प्रतिवादी गोरु एवं नजरु का विक्रय पत्र दिनांक 16.08.2001 जहां तक वादी के हित के विरुद्ध है, शून्य एवं निष्प्रभावी होगा।
3. प्रतिवादीगण क्रमांक 01 से 04 विवादित भूमि का विक्रय या अन्यथा अंतरण न करें।
4. प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।
5. अधिवक्ता शुल्क म.प्र. सिविल कोर्ट नियम एवं आदेश 179 सहपठित नियम 523 के निर्धारित होता है अथवा जो प्रमाणित हो या न्यून हो खर्चे में जोड़ा जावे।

तदनुसार आज्ञाप्ति तैयार की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
आमला, जिला बैतूल

(श्रीमती मीना शाह)
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
आमला, जिला बैतूल